जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
87/2016

मुन्तकिली प्रकरण सं0 87/2015 अनवानी श्री गुरसुखपाल सिंह पुत्र गुरबलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 56 एफ तहसील श्रीकरनपुर बनाम 1–गुरबलजीतसिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक चीचा तहसील व जिला अमृतसर 2–स्टेट आफ राज0 जरिये तहसीलदार श्रीकरनपुर 3–शिवजीत सिंह पुत्र गुरप्रहलादसिंह जाति जटसिख निवासी 56 एफ तहसील श्रीकरनपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.12.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित है। अप्रार्थी गुरबलजीत सिंह जरिये मु0 आम गुरप्रीत सिंह के अभिभाषक श्री सुलतान सिंह बुड़ानिया उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस एडमिशन के बिन्दु पर दिनांक 29.11.2016 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी गुरसुखपाल सिंह ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 235 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में उसके द्वारा चक 56 एफ तहसील करनपुर के खाता सं. 22/24 के मु0न0 64 के कि0न0 1,10,11,12,19,20,21,22 की कुल 8.00 बीघा नहरी भूमि के खातेदारी घोषित करने तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतू अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत दावा जो लंबित है में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर किसी अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए पेश किया है।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन था कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में यहां चक 56 एफ तहसील श्रीकरनपुर के खाता सं0 22/24 के मु0न0 64 कि0न0 1, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 की 2.053 हे0 यानि 8 बीघा नहरी भूमि खातेदारी घोषित करने तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा पेश किया है, जो अभी लंबित है जिसमें अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 प्रभावशाली व्यक्ति है जो अच्छी राजनैतिक पहुंच रखता है और जिसे प्रार्थी/वादी ने उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में उठते बैठते एवं बातचीत करते देखा था तथा प्रतिवादी सं0 1 खुलमखुला कह रहा है कि वह अपने राजनैतिक प्रभाव से वाद को खारिज करवा देगा। इसलिए उसे पूर्ण आशंका है कि पीठासीन अधिकारी प्रतिवादी के प्रभाव में है और उसे निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। वादी के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 2014(1)आरआरटी 516 का उद्धरण पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थी को पूर्ण आशंका है कि राजनैतिक दबाब के कारण उसे न्याय नही मिलेगा। इसलिए मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई हेतु एडमिट किया जावे और अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही स्थगित की जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक का कथन था कि प्रार्थी द्वारा मूल वाद वर्ष 2006 में उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर के न्यायालय में दायर किया गया था जिस पर उसने उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर पर मनगढंत आरोप लगाकर श्रीगंगानगर के उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में मुन्तकिल करवाया और उक्त वाद में अप्रार्थी सं0 1 की भूमि भी सम्मिलित है जिस पर प्रार्थी लम्बे समय से विधि विरूद्ध रूप से काबिज रहकर नाजायज फायदा उठा रहा है। इसलिए बार बार मनगढंत आरोप लगाकर मुकदमा मुन्तकिली के लिए प्रा0 पत्र पेश करता रहता है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

87/2016

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी उक्त लंबित राजस्व वाद को इस अदालत के माध्यम से मुन्तकिल करवाना चाहता है। पूर्व में उक्त वाद को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 08.01.2013 को दो माह में निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे और प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक अन्य सिविल रिट सं0 5079/2012 मे भी आदेश दिनांक 08.12.2013 द्वारा एक माह में उक्त वाद को एक माह में निस्तारण करने के अधिनस्थ न्यायालय को आदेश दिये है। किन्तु प्रार्थी, अप्रार्थी की भूमि का अनुचित लाभ उठाने के लिए बार बार मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र झूठे आरोपो के आधार पर पेश कर रहा है। इसलिए उक्त मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर खारिज किया जावे और माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार ही निर्धारित समय सीमा में उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को कार्रवाई हेतू निदेशित किया जावे।

उनका यह भी कथन था कि माननीय राजस्व मण्डल व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियत अवधि में निस्तारण के आदेश है और प्रार्थी, अप्रार्थी की भूमि पर नाजायज रूप से काबिज है और उसका अनुचित लाभ उठाने के लिए ही मुन्तकिली प्रा0 पत्र पेश करता रहता है। इसलिए प्रा0 पत्र खारिज किया जावे और मूल वाद के शीघ्र निस्तारण के आदेश दिये जावे।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर के न्यायालय में एक वाद सं0 104/2006 अनवानी गुरसुखपालसिंह बनाम गुरबलजीत सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आरटीए का पेश किया था जिसे बाद में उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु मुन्तकिल किया गया और अब प्रार्थी ने पुनः उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय से अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल करने की इस आधार पर प्रार्थना की है कि अप्रार्थी सं0 1 गुरबलजीतसिंह राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है और उसे आशंका है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर उसके प्रभाव में है और अप्रार्थी सं0 1 भी ऐलानिया कह रहा है कि पीठासीन अधिकारी उसके प्रभाव में है इसलिए उसे निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। इसलिए प्रार्थी ने प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है। पत्रावली में उपलब्ध माननीय राजस्व मण्डल के निगरानी सं0 8030/2012 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2013 के अनुसार प्रकरण 2006 से लंबित होने के कारण प्रकरण का दो माह में निस्तारण करने का आदेश दिया। माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा भी रिट पेटीशन सं0 5079/2012 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2013 में भी एक माह में प्रकरण का निस्तारण का आदेश दिया है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर से मुकदमा मुन्तकिली के लिए लगाया गया राजनैतिक प्रभाव का उक्त आरोप एक साधारण प्रकृति का है और ऐसा आरोप किसी पर, किसी भी, समय लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिससे प्रतीत हो कि अगर प्रकरण मुन्तकिल नही किया गया तो प्रार्थी के साथ अन्याय होगा।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

87/2016

AB
3

चूंकि प्रार्थी द्वारा लगाया गया राजनैतिक प्रभाव का आरोप एक साधारण प्रकृत्ति का है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है और माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा भी मूल वाद का एक निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करने के आदेश है जिनकी पालना को भी अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा ध्यान में रखना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नही होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र एडमिशन की स्टेज पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2137
16-12-16

आदेश आज दिनांक 06.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर